



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-1-2/838/संबद्धता/2022/699

रायगढ़, दिनांक 27.08.2022

//आदेश//

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अनुमति पत्र क्रमांक एफ 17-103/2022/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19.07.2022 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 17-103/2022/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05.08.2022 तथा विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-1-2/838/संब.निरी./2022/653 रायगढ़, दिनांक 22.08.2022 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री महावीर महाविद्यालय कोतरा रोड, बायपास जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निम्नांकित विषयों/पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है :-

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो-वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र)	45-सीट
02	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर विज्ञान-भौतिकी, गणित)	45-सीट
03	बी.कॉम, प्रथम वर्ष (सभी अनिवार्य विषय)	45-सीट
04	डी.सी.ए. (सभी अनिवार्य विषय)	35-सीट
05	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (सभी अनिवार्य विषय)	35-सीट
06	पी.जी.डी.सी.ए. (सभी अनिवार्य विषय)	35-सीट
07	बी.ए.-प्रथम वर्ष (आ.पा., समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र)	50-सीट

निर्धारित शर्तें :-

01. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
02. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
03. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विषय के लिए शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जावे।
04. उपरोक्त पाठ्यक्रमानुसार पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकें क्रय किया जावे।

उल्लेखित शर्तों का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 30.09.2022 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सीट वृद्धि/नवीन विषय/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त अनुभाग संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव (प्रभारी)

पृ. क्रमांक 2-1-2/838/संबद्धता/2022/700

रायगढ़, दिनांक 27.08.2022

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
03. प्राचार्य, श्री महावीर महाविद्यालय कोतरा रोड, बायपास जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

for
प्रभारी अधिकारी (अका.)